संख्या:80/2020/2128जेएल/22-3-2020-100(44)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 05 नवम्बर 2020*

विषय: जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध 10 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26723/सामा-1(8)/बंदी स्था0/2020, दिनांक 22-10-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध निम्नलिखित 10 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाता है ।
1	2	3	4
1	धनन्जय उर्फ बब्बल पुत्र राजेन्द्र सिंह	जिला कारागार देवरिया	जिला कारागार कासगंज
2	सद्दाम पुत्र असलम	जिला कारागार देवरिया	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़
3	बृजेश यादव पुत्र रामनगीना यादव	जिला कारागार देवरिया	केन्द्रीय कारागार नैनी
4	शाका पाण्डेय उर्फ वीरू पुत्र दीनानाथ पाण्डेय	जिला कारागार देवरिया	केन्द्रीय कारागार आगरा
5	हरिवंश यादव पुत्र गोरख यादव	जिला कारागार देवरिया	जिला कारागार चित्रकूट
6	सि0/वि0 बंदी अमरेश यादव पुत्र सीताराम यादव	जिला कारागार देवरिया	केन्द्रीय कारागार वाराणसी
7	राजू तिवारी पुत्र लालजीत उर्फ विद्या तिवारी	जिला कारागार देवरिया	जिला कारागार लखनऊ
8	नितीश कुमार सिंह पुत्र धमेन्द्र सिंह	जिला कारागार देवरिया	जिला कारागार बाराबंकी
9	विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह उर्फ मुन्न सिंह	जिला कारागार देवरिया	जिला कारागार बरेली
10	मो0 आलम पुत्र अकरम	जिला कारागार देवरिया	केन्द्रीय कारागार बरेली

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:80/2020/2128जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया/कासगंज/फर्रूखाबाद/प्रयागराज/आगरा/चित्रकूट/वाराणसी/लखनऊ/बाराबंकी/बरेली।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
5. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देवरिया/कासगंज/फर्रूखाबाद/प्रयागराज/आगरा/चित्रकूट/वाराणसी/बाराबंकी/बरेली।
6. अधीक्षक, जिला कारागार देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार देवरिया से सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किए जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़/नैनी,प्रयागराज/आगरा/वाराणसी/बरेली।
8. अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज/चित्रकूट/लखनऊ/बाराबंकी/बरेली।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in